

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020—आश्विन 17, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 84(05)-वि-निर्वा.-चार-2020-उप चु.-92.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

1. क्रमांक 100/MP-LA/1/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
2. क्रमांक 100/MP-LA/2/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
3. क्रमांक 100/MP-LA/3/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
4. क्रमांक 100/MP-LA/4/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
5. क्रमांक 100/MP-LA/5/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
6. क्रमांक 100/MP-LA/6/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
7. क्रमांक 100/MP-LA/7/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
8. क्रमांक 100/MP-LA/8/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
9. क्रमांक 100/MP-LA/9/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
10. क्रमांक 100/MP-LA/10/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
11. क्रमांक 100/MP-LA/11/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
12. क्रमांक 100/MP-LA/12/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
13. क्रमांक 100/MP-LA/13/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
14. क्रमांक 100/MP-LA/14/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
15. क्रमांक 100/MP-LA/15/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
16. क्रमांक 100/MP-LA/16/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
17. क्रमांक 100/MP-LA/17/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
18. क्रमांक 100/MP-LA/18/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020

19. क्रमांक 100/MP-LA/19/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
20. क्रमांक 100/MP-LA/20/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
21. क्रमांक 100/MP-LA/21/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
22. क्रमांक 100/MP-LA/22/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
23. क्रमांक 100/MP-LA/23/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
24. क्रमांक 100/MP-LA/24/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
25. क्रमांक 100/MP-LA/25/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
26. क्रमांक 100/MP-LA/26/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
27. क्रमांक 100/MP-LA/27/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
28. क्रमांक 100/MP-LA/28/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./1/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 04-जौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बनवारी लाल शर्मा का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 04-जौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|---|-------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) |
| (घ) मतदान की तारीख: | 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/1/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Banwari Lal Sharma** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **04-Joura** Assembly Constituency has become vacant on **21st December, 2019** by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **04-Joura** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: **12th November, 2020 (Thursday) and;**

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.—वि.स./2/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 05-सुमावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री एदल सिंह कषाना के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अंतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 05-सुमावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/2/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Adal Singh Kansana** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **05-Sumawali** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **05-Sumawali** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./3/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 08-मुरेना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रघुराज सिंह कंषाना के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 08-मुरेना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/3/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Raghuraj Singh Kansana** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **06-Morena** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **06-Morena** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./4/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 07-दिमनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गिराज ढण्डीतिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 07-दिमनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/4/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Girraj Dandotiya** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **07-Dimani** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **07-Dimani** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./5/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 08-अम्बाह (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कमलेश जाटव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 08-अम्बाह (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्घीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/5/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Kamlesh Jatav** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **08-Ambah (SC) Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **08-Ambah (SC) Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./6/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 12-मेहगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री ओ.पी.एस.मदौरिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 12-मेहगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/6/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri O.P.S.Bhadoria** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 12-Mehgaon Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 12-Mehgaon Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./7/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 13-गोहद (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रणवीर जाटव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 13-गोहद (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/7/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Ranvir Jatav** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **13-Gohad (SC) Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **13-Gohad (SC) Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./8/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 15-ग्वालियर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 15-ग्वालियर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ)	मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/8/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Pradhuman Singh Tomar** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **15-Gwalior Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **15-Gwalior Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./9/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 16-ग्वालियर पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 16-ग्वालियर पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/9/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Munnalal Goyal (Munna Bhaiya)** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **16-Gwalior East Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **16-Gwalior East Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./10/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 19-डबरा (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती इमरती देवी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 19-डबरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-I.A/10/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shrimati Imarti Devi in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 19-Dabra (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of her resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 19-Dabra (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

**By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.**

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./11/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 21-भाण्डेर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 21-भाण्डेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/11/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shrimati Raksha Santram Saroniya** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **21-Bhander (SC)** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of her resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **21-Bhander (SC)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |

(e) Date before which the election shall be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./12/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 23-करेरा (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जसमंत जाटव छितरी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 23-करेरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ)	मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/12/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Jasmant Jatav Chitree** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **23-Karera (SC)** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **23-Karera (SC)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./13/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 24-पोहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सुरेश घाकड़ (राठखेड़ा) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 24-पोहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/13/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Suresh Dhakad (Rathkheda)** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **24-Pohari Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **24-Pohari Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./14/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 28-बामोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 28-बामोरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/14/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Mahendra Singh Sisodia (Sanju Bhaiya)** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **28-Bamori Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **28-Bamori Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./15/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 32-अशोकनगर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जजपाल सिंह "जज्जी" के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 32-अशोकनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्वर्ती बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/15/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Jajpal Singh "Jajji"** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **32-Ashok Nagar (SC)** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **32-Ashok Nagar (SC)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |

(e) Date before which the election shall be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./16/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 34-मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बृजेन्द्र सिंह यादव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/16/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Brajendra Singh Yadav** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **34-Mungaoli Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **34-Mungaoli Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./17/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 37-सुरखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गोविन्द सिंह राजपूत के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1), धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 37-सुरखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|---|-------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) |
| (घ) मतदान की तारीख: | 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/17/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Govind Singh Rajput** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **37-Surkhi Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **37-Surkhi Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./18/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 53-मलहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी (मुन्ना भैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 12 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 53-मलहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/18/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Kunwar Pradyuman Singh Lodhi (Munna Bhaiya)** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **53-Malhara Assembly Constituency** has become vacant on **12th July, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **53-Malhara Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./19/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बिसाहूलाल सिंह के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/19/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Bisahul Singh** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **87-Anuppur (ST)** Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **87-Anuppur (ST)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: **12th November, 2020 (Thursday) and;**

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./20/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 142-सांची (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित डॉ. प्रनुराम चौधरी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 142-सांची (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

- No. 100/MP-LA/20/2020 (Bye-Election) :-** WHEREAS, the seat of Dr. Prabhuram Choudhary in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 142-Sanchi (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and
- 2. WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE,** in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon** the said 142-Sanchi (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints,** with respect to the said election-
- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M.,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./21/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 181-ब्यावरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गोवर्धन दांगी का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 181-ब्यावरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/21/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Govardhan Dangi** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **161-Biaora Assembly Constituency** has become vacant on **15th September, 2020** by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **161-Biaora Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./22/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 168-आगर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोहर ऊंटवाल का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 30 जनवरी, 2020 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 168-आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूची जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) |
| (घ) | मतदान की तारीख: | 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौ यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/22/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Manohar Untwal** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **166-Agar (SC)** Assembly Constituency has become vacant on **30th January, 2020** by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **166-Agar (SC)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./23/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 172-हाटपिपल्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसार में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 172-हाटपिपल्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/23/2020 (Bye-Election) :- **WHEREAS**, the seat of **Shri Manoj Narayan Singh Choudhary** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 172-Hatpipliya Assembly Constituency has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 172-Hatpipliya Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **Appoints**, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) **Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.—वि.स./24/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 175-मांघाता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नारायण पटेल के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 23 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 175-मांघाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|---|-------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) |
| (घ) मतदान की तारीख: | 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/24/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shri Narayan Patel in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 175-Mandhata Assembly Constituency has become vacant on 23rd July, 2020 by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 175-Mandhata Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.—वि.स./25/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 179-नैपानगर (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती सुमित्रा देवी कास्केकर के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 17 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यत्न इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 150, 30 एवं 58 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 179-नैपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/25/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shrimati Sumitra Devi Kasdekar** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 179-Nepanagar (ST) Assembly Constituency has become vacant on 17th July, 2020 by reason of her resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 179-Nepanagar (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |

(e) Date before which the election shall be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./28/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 202-बदनावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजवर्धनसिंह-प्रेमसिंह दत्तीगांव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 202-बदनावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001**

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/26/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of **Shri Rajvardhan Singh-Prem Singh Dattigaw** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from **202-Badnawar Assembly Constituency** has become vacant on **10th March, 2020** by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **202-Badnawar Assembly Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./27/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 211-सांवेर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री तुलसीराम सिलावट के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अंब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 211-सांवेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/27/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shri Tulsiram Silawat in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 211-Sanwer (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;**
3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 211-Sanwer (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|---|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall | |

be completed: 12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./28/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 228-सुवासरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री डंग हरदीपसिंह के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसंस्करण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 228-सुवासरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ) मतदान की तारीख:	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/28/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shri Dang Hardeep Singh in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 226-Suwasra Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 226-Suwasra Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 16 th October, 2020 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 17 th October, 2020 (Saturday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 19 th October, 2020 (Monday) |
| (d) Date of Poll: | 03 rd November, 2020 (Tuesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 12 th November, 2020 (Thursday) and; |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.